

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
आदेश

आ0सं0-08/अ0प्र0-07-05/2025

/पटना, दिनांक:-

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-30.03.2026 को आयोजित बैठक में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685, दिनांक-25.06.2003 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2010, पत्रांक-5152 दिनांक-21.05.2013 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संगत संकल्पों/परिपत्रों/ प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार विचार किया गया।

2. तदनुसार समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2010 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संकल्पों/परिपत्रों के संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालयों में कार्यरत निम्नांकित प्रयोगशाला सहायक को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-8 में अंकित तिथि से वांछित सेवा पूरी होने पर तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारियों का नाम/पदनाम/पदस्थापित सेवानिवृत्त के कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	प्रयोगशाला सहायक के पद पर योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के तहत देय तिथि एवं वेतनमान		
					प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० देयता की तिथि/वेतनमान	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० देयता की तिथि/वेतनमान	तृतीय ए०सी०पी० देयता की तिथि/वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री राजेश कुमार/ प्रयोगशाला सहायक /जौंच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, पटना	01.07.1972/ 30.06.2032	07.01.1994	07.01.1997	प्राप्त	प्राप्त	दिनांक- 07.01.2024 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पे०-4800
2	श्री राम कुमार शर्मा /प्रयोगशाला सहायक /जौंच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	31.03.1967/ 31.03.2027	10.01.1994	13.12.2002	प्राप्त	प्राप्त	दिनांक- 10.01.2024 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पे०-4800
3	श्री राजेश कुमार/ प्रयोगशाला सहायक/ जौंच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, छपरा	07.01.1971/ 31.01.2031	06.01.1994	06.01.1997	प्राप्त	प्राप्त	दिनांक- 06.01.2024 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पे०-4800

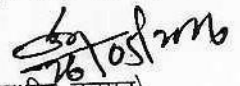
3. उपर्युक्त कर्मियों के संबंध में भविष्य में उक्त कार्यालय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर इन्हें प्रदत्त रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित इस आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अन्तर राशि की नियमानुकूल वसूली कर ली जायेगी।

Signature

4. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
 5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व कर्मियों के सेवापुस्त की सम्यक् जांच कर लेंगे एवं जॉचोपरान्त स्वीकृत लाभों के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्त, दंडादेश एवं अन्य मामला आदि, एम0ए0सी0पी0 को प्रभावित करता हो, पाया जाता है, तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त कर्मियों के संबंध में पूर्व में निर्गत दण्ड या लंबित आरोप एवं अन्य प्रतिकूल तथ्य विभाग के संज्ञान में आने के परिणाम स्वरूप संबंधित कर्मियों को प्रदत्त एम0ए0सी0पी के तहत प्रदत्त लाभ से संबंधित यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गई राशि/अन्तर राशि की वसूली नियमानुसार कर ली जायेगी।

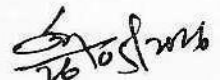
7. उक्त कर्मियों का वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम-8/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के परिशिष्ट-01 के नियम-04 के अनुसार किया जायेगा। वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22 (i) ए (i) में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।


 (सुधीर कुमार)
 अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2025

/पटना, दिनांक:-

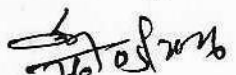
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (प्रशाखा-03 ए), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2025

/पटना, दिनांक:-

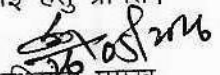
प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2025

/पटना, दिनांक:-

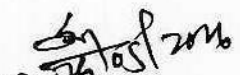
प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कर्मियों ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2025

/पटना, दिनांक:-

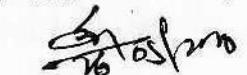
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा/लेखा प्रशाखा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-05/2025

/पटना, दिनांक:- 27/5/26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 अभियंता प्रमुख

